AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF: 1.048(I2OR), 3.125 (IIFS) & 3.8(SJIF)
Vol (3), Issue (3), July-September 2026 ISSN: 3048-7951

लोकसंग्रह से उत्कृष्ट पुलिसिंग तक: भगवद्गीता के लोकसंग्रह सिद्धांत पर आधारित मानव संसाधन प्रबंधन का एक मॉडल

नवीन अरोरा[1] ; डॉ0 इशिता अरोरा[2]

DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.24168317

Review: 25/09/2026 Acceptance: 29/09/2026 Publication:28/10/2026

सारांश-

यह शोधपत्र श्रीमद्भगवद्गीता में प्रतिपादित लोकसंग्रह की अवधारणा का समकालीन पुलिस मानव संसाधन प्रबंधन (Human Resource Management) के संदर्भ में दार्शनिक व प्रबंधकीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मूल प्रतिपाद्य यह है कि पुलिसिंग का उद्देश्य केवल विधि प्रवर्तन, अपराध नियंत्रण अथवा प्रशासनिक दक्षता तक नहीं है, बल्कि न्याय, सामाजिक विश्वास, नैतिक उत्तरदायित्व तथा सामूहिक कल्याण की सतत् स्थापना भी है। इस दृष्टि से लोकसंग्रह पुलिस संगठन के लिए एक मूल्य आधारित प्रबंधन सिद्धांत के रूप में उभरता है, जो व्यक्तिगत कर्त्तव्य, संगठनात्मक उत्तरदायित्व तथा सार्वजनिक हित के मध्य संतुलन स्थापित करता है। यह अध्ययन वैचारिक तथा व्याख्यात्मक (Conceptual & Interpretative) अनुसंधान पद्धति पर आधारित है, जिसमें भगवद्गीता के लोकसंग्रह सिद्धांत का विश्लेषण आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन, नैतिक नेतृत्व, सामुदायिक पुलिसिंग तथा सुशासन के सिद्धांतों के संदर्भ में किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यदि पुलिस संगठन में लोकसंग्रह को प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, कार्यसंस्कृति तथा निर्णय प्रक्रिया का आधार बनाया जाये, तो इससे उत्तरदायित्व, संगठनात्मक प्रतिबद्धता, नैतिक आचरण, जनविश्वास तथा सेवा केन्द्रित पुलिसिंग को सुदृढ़ किया जा सकता है. यह शोध भारतीय ज्ञान परंपरा और समकालीन प्रबंधन चिंतन के मध्य एक वैचारिक सेतु का निर्माण करता है तथा पुलिस मानव संसाधन प्रबंधन के लिये एक भारतीय, मूल्य-आधारित एवं सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक मॉडल प्रस्तुत करता है। अध्ययन के निष्कर्ष नेतृत्व विकास, पुलिस प्रशिक्षण, नीति निर्माण तथा सामाजिक व सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण सैद्धांतिक व व्यावहारिक संकेत प्रदान करते हैं।

मुख्य शब्द- लोक संग्रह, आदर्श आचरण, प्रतिपाद्य, मानव संसाधन प्रबंधन, सामुदायिक पुलिसिंग, सुशासन, प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, श्रेष्ठ व्यक्ति, अधर्म, संगठनात्मक प्रतिबद्धता, सक्रिय प्रतिकार, न्यायपूर्ण, जन कल्याणकारी सेवाएँ, आसक्ति रहित, क़ानून व्यवस्था, शांति स्थापना।

[1] आई०पी०एस० अधिकारी, एवं अपर पुलिस महानिदेशक ATS इंडिया|

[2] अतिथि सहायक आचार्य, फैकल्टी ऑफ़ योगा एंड अल्टरनेटिवमेडिसिन, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश|

साहित्यावलोकन: श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत, 'Krishna', Greatest spiritual wisdom for tough times- by Pranay, श्रीमद्भगवद्गीता- साधक संजीवनी, स्वामी रामसुखदास; श्रीमद्भगवद्गीता- तत्वविवेचनी, जयदयाल गोयन्दका, कर्मयोग - स्वामी विवेकानन्द।

शोध प्रविधि (Research Design): प्रस्तुत शोध गुणात्मक (Qualitative) एवं वैचारिक (Conceptual) प्रारूप पर आधारित है। इसमें भगवद्गीता के '**लोक-संग्रह'** सिद्धांत का दार्शनिक एवं प्रबंधकीय दृष्टि से विश्लेषण करते हुए पुलिस मानव संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में उसकी उपादेयता का अध्ययन किया गया है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) पर आधारित है, जिनमें भगवद्गीता, उसके प्रामाणिक भाष्य, भारतीय दर्शन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा पुलिस प्रशासन से संबंधित पुस्तकें, शोध-पत्र एवं अन्य अकादमिक स्रोत शामिल हैं. प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर लोक-संग्रह आधारित भूमिका-सामंजस्य (Role Alignment) का एक वैचारिक मॉडल प्रस्तुत किया गया है।

शोध पत्र का उद्देश्य-

- भगवद्गीता के लोकसंग्रह सिद्धांत के पुलिस प्रशासन के संदर्भ में प्रासंगिकता का विश्लेषण करना।
- लोकसंग्रह पर आधारित उत्कृष्ट, नैतिक एवं जनोन्मुख पुलिसिंग के लिए एक मूल्य-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन मॉडल प्रस्तुत करना।

प्रस्तावना: आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस की भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाये रखने तक ही सीमित नहीं है, वरन् पुलिस समाज के नैतिक नेतृत्व, जनविश्वास की स्थापना व सामाजिक समरसता के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आधुनिक पुलिस प्रशासन की सफलता का मूल्याँकन केवल अपराध आकड़ों, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की संख्या से न कर समाज में व्याप्त शांति, सद्भाव, सुरक्षात्मक वातावरण एवं नियमों के पालन व जनता/ समाज/ राष्ट्र के समग्र विकास से करना चाहिए। गीता में प्रतिपादित 'लोकसंग्रह' का सिद्धांत इस व्यापक उत्तरदायित्व को समझने का एक गहन दार्शनिक आधार प्रदान करता है। लोकसंग्रह का अर्थ केवल समाज के हित में कार्य करना नहीं, वरन् अपने आदर्श आचरण और व्यक्तित्व के माध्यम से समाज को सही दिशा व सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करना भी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह केवल उपदेशों से ही नहीं वरन् अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को देखकर, अनुसरण करके भी सीखता है। एक बालक अपने माता-पिता से, विद्यार्थी अपने शिक्षक से व नागरिक-समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आचरण से स्वयं के लिये व्यावहारिक मानदंड निर्मित करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे 'प्रेक्षणात्मक अधिगम' (Observational learning) या 'सामाजिक अधिगम' (Social Learning) के रूप में समझाया जाता है। कुछ तंत्रिका विज्ञान संबंधी

अध्ययनों में "मिरर न्यूरॉन प्रणाली" को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा गया है। इसके तहत् दूसरों के व्यवहार का अवलोकन हमारी सीखने व अनुकरण करने की क्षमता में भूमिका निभा सकता है।

भगवान श्रीकृष्ण, गीता में अर्जुन को यही संदेश दे रहे हैं-

"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥" [1]

अर्थात् श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। वे जो प्रमाण देते है, मानव समुदाय भी उसी का अनुपालन करता है।

स्वामी चिन्मयानंद के अनुसार, "अधर्म का सक्रिय प्रतिकार- यह श्रीकृष्ण का सिद्धांत है। उनकी अहिंसा उस दिवास्वरूप देखने वाले कायर के समान नहीं थी, जो अन्याय का प्रतिकार न करके संस्कृति का रक्षण करने में समर्थ होता है।[2]

अधर्म के सक्रिय प्रतिकार का अर्थ है- अन्याय, असत्य, शोषण, हिंसा, भ्रष्टाचार और अनैतिकता के सामने मौन या निष्क्रिय नहीं रहना, बल्कि धर्मसंगत व न्यायपूर्ण तरीके से उसका प्रतिरोध करना। पुलिस कर्मियों को भी इससे शिक्षा लेते हुए, अपराध होता देखकर मूकदर्शक न बने रहना, निष्पक्ष होकर अपराध का प्रतिरोध करना, भ्रष्टाचार का विरोध, निर्बलों की रक्षा, धर्मपूर्ण व्यवस्था स्थापना और कानून का न्यायपूर्ण पालन कराना चाहिए। कार्यनिष्पादन में भावातिरेक में न बहना, मनपसंद पोस्टिंग के न मिलने पर भी समभाव में रहना, स्थानांतरण से प्रभावित न होना, नकारात्मकता को स्वयं पर हावी न होने देना, जनकल्याणकारी सेवार्थ कार्यों से स्वयं को विरत न कर लेना एवं पुलिस कर्म/ धर्म का पालन करते रहना एक श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान होती है।

गीता के अध्याय-3 के 20 वें श्लोक में श्रीकृष्ण कहते हैं-

"कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।

लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ॥" [3]

यहाँ श्रीकृष्ण राजा जनक व उनके पूर्व के कई महापुरुषों का उदाहरण देकर कहते हैं कि उन्होंने कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की। इसलिये तुम्हें भी लोकसंग्रह को ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए।

राजा जनक मिथिला के राजा थे किंतु उन्होंने स्वयं को सदैव राज्य का संरक्षक माना, स्वामी नहीं। राज्य को व्यक्तिगत संपत्ति या अहंकार का विषय नहीं माना। उनका शासन निष्काम कर्म, वैराग्य व लोकसंग्रह की भावना पर आधारित था। राजा जनक की तरह ही पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) जोन, IG/DIG Range, SSP/SP/DCP, ACP, SHO को अपने दायित्वाधीन क्षेत्र में स्वामित्व की भावना से नहीं वरन् संरक्षक

व लोकसंग्रह की भावना से कर्म करना चाहिये। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, अहंकार का पोषण, पद, शक्ति का नहीं वरन् न्याय, सुरक्षा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, सामाजिक व्यवस्था निर्माण व धर्म की स्थापना होना चाहिए।

रामसुखदास जी कहते हैं- "श्रेष्ठ मनुष्य (आसक्ति रहित विद्वान) के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिये, मर्यादा सुरक्षित रखने के लिये होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुम्ब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है; वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणिमात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में, 'मैं लोकहित करता हूँ', ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता है।"[4]

यही सिद्धांत पुलिस पदाधिकारियों के लिये भी प्रासंगिक है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण दक्षता, साहस और समर्पण के साथ करें। उन्हें कानून-व्यवस्था बहाली, शांति स्थापना, अपराध नियंत्रण, नागरिकों की सुरक्षा, जन समस्या निस्तारण एवं न्याय की स्थापना में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। किंतु इसके साथ ही उनके मन में पद, अधिकार, व्यक्तिगत लाभ, प्रसिद्धि अथवा स्वामित्व का भाव भी नहीं होना चाहिए।

भगवद्गीता के आदर्श - "सर्वे भवन्तु सुखिनः" के मूल भाव को प्रशासन के माध्यम से लागू कर अनासक्त होकर लोकसंग्रह की अवधारणा का पालन करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूँ कि "अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं, वरन् अहंकार व फल की अपेक्षा से मुक्त होकर उत्कृष्ट कार्य करना है।" यह दृष्टिकोण पुलिस कर्मियों को शक्ति के दुरुपयोग से रोकता है और उन्हें अधिक मानवीय, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाता है।

अतः हम कह सकते हैं कि लोकसंग्रह का सिद्धांत 'आधुनिक पुलिस प्रणाली की आत्मा' है। यह पुलिस बल को संकीर्ण प्रशासनिक लक्ष्यों से निकालकर एक ऐसे वृहद् दृष्टिकोण से जोड़ता है, जहाँ "कानून का पालन" और "समाज का कल्याण" एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं।

निष्कर्ष-

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भगवद्गीता का लोकसंग्रह सिद्धांत पुलिसिंग को केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण, न्याय, विश्वास और सामाजिक समरसता की स्थापना के उत्तरदायित्व के रूप में परिभाषित करता है। इस दृष्टिकोण में पुलिसकर्मी का प्रत्येक निर्णय केवल वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं, बल्कि समाज के नैतिक एवं संस्थागत विकास में एक सक्रिय योगदान भी है।

लोकसंग्रह का मूल संदेश यह है कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत उत्कृष्टता को समाज की उत्कृष्टता से जोड़कर देखे। पुलिस के संदर्भ में इसका अर्थ है कि प्रत्येक पुलिसकर्मी अपने आचरण, निर्णय, नेतृत्व तथा सेवा-भाव के माध्यम से ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे, जो नागरिकों में विश्वास, सुरक्षा और न्याय की भावना को सुदृढ़ करे। इस

प्रकार पुलिसकर्मी केवल कानून का प्रवर्तक नहीं, वरन् सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक नेतृत्व और लोकहित का संवाहक बनता है।

मानव संसाधन प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में लोकसंग्रह यह संकेत देता है कि पुलिस संगठन का उद्देश्य केवल दक्ष एवं अनुशासित कर्मियों का निर्माण करना ही नहीं होना चाहिए, अपितु ऐसे उत्तरदायी, मूल्यनिष्ठ और समाजोन्मुख नेतृत्व का विकास करना भी होना चाहिए, जो व्यक्तिगत उपलब्धियों से आगे बढ़कर सार्वजनिक हित को अपने कार्य का सर्वोच्च मानदंड बनाये। जब प्रत्येक पुलिसकर्मी स्वयं को लोककल्याण का सहभागी मानकर कार्य करता है, तभी उत्कृष्ट पुलिसिंग केवल संगठनात्मक उपलब्धि न रहकर समाज के समग्र विकास का माध्यम बनती है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि लोकसंग्रह उत्कृष्ट पुलिसिंग का अंतिम उद्देश्य है। इससे पुलिसकर्मी को यह प्रेरणा मिलती है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन इस प्रकार करे कि उसके कार्य से केवल अपराध नियंत्रण ही नहीं, बल्कि समाज में न्याय, विश्वास, नैतिकता और सामूहिक कल्याण की स्थायी स्थापना भी सुनिश्चित हो। यही लोकसंग्रह का व्यावहारिक स्वरूप है और यही पुलिस सेवा का सर्वोच्च आदर्श भी है।

संदर्भ

- श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय 3, श्लोक 21
- श्रीमद्भगवद्गीता - “The Holy Geeta” - स्वामी चिन्मयानंद, पृष्ठ -141
- श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय 3, श्लोक 20
- श्रीमद्भगवद्गीता, साधक संजीवनी, स्वामी रामसुखदास पृष्ठ संख्या 219

संदर्भ ग्रंथ सूची

- महाभारत
- “Krishna” - Greatest Spiritual wisdom for tough times - by Pranay.
- कर्मयोग - स्वामी विवेकानन्द
- लिविंग द गीता - मदन सुन्दर दास
- पुलिस आफिस मैन्युअल
- BPR&D वेबपेज एवं वेबसाईट पोर्टल- https://bprd.nic.in, BPR&D Publications